हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अक्तूबर, 2010

संख्या का०आ० 106/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2010.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 6/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2010, दिनांक 9 सितम्बर, 2010, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची ग में, क्रम संख्या 21ख तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2
"21ग	परिवहन क्षेत्र में प्रयोग हेतु कोमप्रैस्ड नैचूरल गैस (सी०एन०जी०), घरेलू क्षेत्र में उपलब्ध पाईप्ड नैचुरल गैस (पी०एन०जी०), तथा जब प्ररूप वैट घ 1 प्रस्तुत करने पर निर्माण में प्रयोग के लिए बेची जाए"।

रमेन्द्र जाखू
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान।